छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, रायपुर

मकान नम्बर - 40, आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन: - 0771-2444591 ईमेल: - cspcraipur@gmail.com वेबसाइट:-www.cspc.in

पत्र क्रमांक / सी.जी. / फार्मा / 2024 / 599 रायपुर, दिनांक : 16 / 05 / 2024

विशेष सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त चिकित्सालयों / फार्मेसी / मेडिकल स्टोर के संचालक / फार्मासिस्ट को सूचित किया जाता है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा - 42 में विहित प्रावधान अनुसार मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्सन पर केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाइयां डिस्पेंस की जानी है। किसी गैर पंजीकृत के द्वारा दवाइयों का डिस्पेंस / वितरण / विक्रय होना पाए जाने पर संबंधितों को 6 माह तक की सजा या 1000 रूपये अर्थदंड अथवा दोनों सजाएँ एक साथ होने का प्रावधान उल्लेखित है।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 19 -1 / 2023 – PCI / 3854-56 दिनांक 25/10/2023, कानून व न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) भारत शासन असाधारण राजपत्र स. 21 भाग – II खंड 1 दिनांक 11 अगस्त 2023, में प्रकाशित **Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act-2023** के क्रम संख्या 9 पृष्ठ संख्या 13 संशोधन क्रमांक (D) अनुसार फार्मेसी एक्ट-1948 की धारा 42 के दंड प्रावधान में संशोधन करके गैर पंजीकृत फार्मासिस्ट के द्वारा दवा डिस्पेंसिंग करते पाए जाने पर 3 माह तक की सजा अथवा दो लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान कर दिया गया है। अतः सभी संबंधितों को सूचित हो।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर होने वाली प्रावधानित कार्यवाही के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

16/05/2024

(अश्वनी गुर्देकर)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल
रायपुर (छग)।